भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4817

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एआईबीपी घटक के अंतर्गत सहायता

4817. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2019-20 से 2024-25 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने एआईबीपी के अंतर्गत वारिकापुडिसला परियोजना सहित कोई नई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हाँ, तो उन पर विचार करने और अनुमोदन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय का आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से सूखाग्रस्त और जनजातीय क्षेत्रों में नई प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं के लिए लंबित धनराशि जारी करने और समय पर सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 8 परियोजनाएँ हैं। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत इन परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को कोई केंद्रीय सहायता जारी नहीं की गई है; केन्द्रीय सहायता जारी न करने के कारण के साथ-साथ परियोजनाओं की वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार दिनांक 01.04.2014 को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल की गई आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना के सिंचाई घटक की शेष लागत का 100% वहन कर रही है। इस परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश को मार्च, 2025 तक 20,658.671 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की जा चुकी है।

(ग): पीएमकेएसवाई के एआईबीपी घटक के अंतर्गत आंध्र प्रदेश से वारिकापुडिसला परियोजना सहित किसी नई परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): मंत्रालय परियोजना की प्रगति के आधार पर तथा राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, सिंचाई परियोजनाओं, जो संगत दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण हों, के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करता है तथा उन्हें समय पर पूरा करने के लिए समर्थन प्रदान करता है।

इसके अलावा, देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई विकास के मुद्दे का समाधान करने के लिए, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन के मानदंडों और केंद्रीय वित्त पोषण अनुपात में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी परियोजना का 50% से अधिक कमान क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र में है, तो अग्रिम चरण के मानदंडों में 50% छूट दी गई है और परियोजना को निर्माण के शुरुआत से ही 60 (केंद्र): 40 (राज्य) के बढ़े हुए वित्त पोषण अनुपात के साथ सूखा प्रवण क्षेत्र में आने वाले कमान क्षेत्र के अनुपात में, शामिल किया जा सकता है।

*****

अनुलग्नक

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एआईबीपी घटक के अंतर्गत सहायता" के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 4817 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	परियोजना	दिनांक 01.04.2016 तक शेष केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपए में)	वर्ष 2016-2019 के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपए में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान केंद्रीय सहायता (सीए) जारी न करने का कारण
1.	गुंडलकम्मा जलाशय	19.87	11.79	93%	धीमी प्रगति हुई है तथा पहले जारी केन्द्रीय सहायता के अनुरूप राज्य के शेयर से व्यय में कमी आई है।
2.	थोटापल्ली बैराज	0.00	0.00	96%	कोई केंद्रीय सहायता शेष नहीं थी।
3.	तारकर्मा तीर्थ सागरम	25.04	3.44	64%	धीमी प्रगति।
4.	थडिपुडी एल.आई योजना	0.00	0.00	78%	कोई केंद्रीय सहायता शेष नहीं थी।
5.	मुसुरुमिल्ली	14.52	7.40	95%	धीमा प्रगति हुई है और पहले जारी केंद्रीय सहायता के अनुरूप राज्य के शेयर से व्यय में कमी आई है।
6.	पुष्कर एलआई योजना	0.00	0.00	98%	कोई केंद्रीय सहायता शेष नहीं थी।
7.	येर्रकल्वा	0.00	0.00	93%	कोई केंद्रीय सहायता शेष नहीं थी।
8.	मड्डिगेड्डा	0.31	0.00	100%	परियोजना पूर्ण।

*****